



जनता विद्या मन्दिर

गणपतराय रासीवासिया महाविद्यालय

रामकृष्ण गुप्ता मार्ग, चरखी दादरी (हरियाणा)

=====**विवरणिका**=====

(PROSPECTUS)

2016-2017

महाविद्यालय के निर्माण का संक्षिप्त इतिहास :-

हरियाणा के इस क्षेत्र में 1963 से पहले महाविद्यालय का अभाव क्षेत्र के कुछ शिक्षा प्रेमी समाज सेवकों को खटकता था। फलस्वरूप स्व० रामकृष्ण जी गुप्त, भूतपूर्व सांसद तथा उनके सहयोगियों ने महात्मा गांधी के नाम पर गांधी विद्या मन्दिर की स्थापना की। स्व० सेठ गणपतराय जी रासीवासिया ने संस्था में स्वयं मुक्त हस्त से दान दिया और अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों से दिलवाया, इसलिये इस महाविद्यालय से उनका नाम जुड़ा हुआ है। इसके साथ-साथ जनता के प्रत्येक वर्ग ने इस संस्था के निर्माण में तन-मन-धन से सहयोग प्रदान किया है, वह भी अविस्मरणीय है।

महाविद्यालय भवन, उसकी स्थिति एवं सुविधाएँ :-

देहली-नारनौल राजमार्ग पर शान्त एवं सुरम्य वातावरण में यह महाविद्यालय स्थित है। इसका विशाल भवन, शानदार सभा भवन, विस्तृत क्रीडास्थल, बड़े-बड़े हवादार कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कम्प्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, जलपानगृह आदि छात्रों के लिए अत्यन्त सुविधाजनक हैं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। महाविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन समिति से महत्त्वपूर्ण B ग्रेड 2.78 CGPA प्राप्त किया है। सुयोग्य प्राध्यापक वर्ग छात्रों के मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर है।

हमारा उद्देश्य :-

आधुनिक भारत की चेतनाओं को क्रियाशील बनाए रखने के लिए हमने निश्चय किया हुआ है कि विद्यार्थियों में उच्च-चारित्रिक बल पैदा करने के साथ-साथ महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें जिससे छात्र स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करें। इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के होनहार विद्यार्थियों ने इसकी गरिमा को बनाए रखा है। उनमें से अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, वकील, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, राजपत्रित अधिकारी, राजनेता, भारतीय सेना व सीमा सुरक्षा बल के पदाधिकारी, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के रूप में इस देश में सेवारत हैं, जो न केवल महाविद्यालय तथा हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र को नई ऊँचाइयों की ओर ले जा रहे हैं।



प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम

- (i) किसी भी कक्षा में फेल विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (ii) एक या अधिक विषयों में कम्पार्टमेन्ट प्राप्त विद्यार्थी को स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स के किसी भी संकाय के प्रथम समेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (iii) प्रवेश के लिए विद्यार्थी को निर्धारित प्रवेश-पत्र (Prescribed Application Form) भरना होगा जो कॉलेज कार्यालय में (Free Seats व Self Finance Course) के लिए उपलब्ध विवरणिका के साथ दिया गया है।
- (iv) प्रवेश-पत्र में दिए गए सभी कॉलम विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए होने चाहिए। जो कॉलम विद्यार्थी पर लागू नहीं होता उस कॉलम में 'x' का चिह्न अंकित करना चाहिए।
- (v) अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के छात्र को प्रवेश-पत्र में दिए गए कॉलम में अपनी जाति का नाम लिखना अनिवार्य है, अन्यथा इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा तथा सम्बन्धित रियायतों से वंचित रह जाएगा।
- (vi) पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों सहित प्रस्तुत करना होगा –
 - (क) मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रति (जन्म-तिथि प्रमाण के लिए)।
 - (ख) उत्तीर्ण की गई परीक्षा के प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित फोटो स्टेट कॉपी।
 - (ग) पिछले विद्यालय/महाविद्यालय के मुख्याध्यापक/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (केवल नए विद्यार्थियों के लिए)।
 - (घ) कम्प्यूटरीकृत फार्म पासपोर्ट साइज फोटो तथा हस्ताक्षरयुक्त सही-सही जानकारी के साथ।
 - (ङ) एक पासपोर्ट साइज फोटो प्रवेश-पत्र पर निर्धारित स्थान पर लगाएं।
 - (च) अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के छात्रों के प्रमाणित-पत्र, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, प्रवेश-पत्र के साथ लगाना जरूरी है, अन्यथा उन्हें अन्य विद्यार्थियों की तरह पूरे शुल्क जमा कराने होंगे।
- (vii) विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने से पूर्व अपनी पात्रता (Eligibility) की पूरी तसल्ली कर लेना चाहिए। यदि बाद में किसी भी कारण से विद्यार्थी अपात्र पाया गया और परिणामस्वरूप उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा तो उसके लिए महाविद्यालय किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा और फीस वापिस नहीं होगी।
- (viii) आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सीटें विश्वविद्यालय/हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित हैं।
- (ix) फीस वापिस विश्वविद्यालय/हरियाणा सरकार के नियमानुसार की जायेगी।
- (x) अगर किसी विषय को विश्वविद्यालय/DGHE द्वारा निर्धारित संख्या से कम विद्यार्थी लेते हैं तो वह विषय/कक्षा बन्द की जा सकती है।



- (xi) कॉलेज के सभी पाठ्यक्रमों/कक्षाओं/विषयों में सीटें सीमित हैं। प्रवेश केवल मैरिट आधार पर दिया जाएगा। प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ नोटिस बोर्ड पर निर्धारित तिथि को लगा दी जाएगी। कोई भी सूचना विद्यार्थी को अलग से नहीं भेजी जाएगी। निर्धारित तिथियों के अनुसार प्रवेश न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश अधिकार स्वयमेव रद्द माना जाएगा।
- (xii) कॉलेज छोड़ने हेतु विद्यार्थी को लिखित रूप में आवेदन देना होगा। इस प्रार्थना-पत्र पर पिता/माता/संरक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक है। जब तक विद्यार्थी का नाम नहीं कट जाता, वह शुल्क देने के लिए जिम्मेवार होगा।
- (xiii) बस पास के लिए आरम्भ में जो पता फार्म में भरा होता है वही पूरे वर्ष मान्य होगा।
- (xiv) जिन विद्यार्थियों की आयु 18 वर्ष हो चुकी है और वोट नहीं बनवाया है, वे अपने दाखिला फार्म के साथ फार्म नं० 6 अवश्य भरें।
- (xv) सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय की [Website-www.mudrohtak.ac.in](http://www.mudrohtak.ac.in) से **download** किया जा सकता है और इसकी एक प्रति महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (xvi) खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियम

- (i) विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अनुशासित रहें तथा महाविद्यालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए सच्चरित्रता का परिचय दें।
- (ii) कॉलेज हित के विरुद्ध कार्य करने वाले, कक्षा में विघ्न डालने वाले, अनुशासन भंग करने वाले, ब्लैक बोर्ड तथा कॉलेज की दीवारों पर लिखने वाले तथा पोस्टर लगाने वाले छात्रों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा उसे कॉलेज से निष्कासित भी किया जा सकता है।
- (iii) बाहर से उद्दण्ड, शरारती व उपद्रवी व्यक्तियों को कॉलेज में अपने साथ लाना दण्डनीय है। ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (iv) कॉलेज सम्पत्ति (Building, Electric Fitting, Sanitary Fitting, Plants etc.) का नुकसान करने की कोशिश करने वाले छात्र पर जुर्माना किया जाएगा तथा उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
- (v) किसी भी छात्र को महाविद्यालय के नियमों या प्राचार्य के आदेशों को भंग करने की इजाजत नहीं होगी।
- (vi) प्रत्येक छात्र को अपना परिचय-पत्र (Identity Card) सदैव अपने पास रखना होगा तथा कॉलेज अधिकारी के द्वारा मांगने पर दिखाना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में विद्यार्थी को कॉलेज परिसर तथा कक्षा में प्रवेश से रोका जा सकता है।



- (vii) किसी भी शिक्षक अथवा कर्मचारी के प्रति दुर्व्यवहार करने अथवा किसी भी छात्रा के साथ अशोभनीय व्यवहार करने पर विद्यार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- (viii) कोई भी विद्यार्थी कॉलेज परिसर में मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा करने की स्थिति में वह आर्थिक दण्ड का भागी होगा तथा उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा।
- (ix) कॉलेज की चार दीवारी के भीतर अश्लील हरकतें करना, धूम्रपान करना, शराब पीना या पीकर आना, मोबाइल पर गाने चलाना, पटाखे चलाना, ताश खेलना तथा बरामदों में निरुद्देश्य घूमना वर्जित व दण्डनीय है।
- (x) विद्यार्थी अपना वाहन केवल निर्धारित स्थान (Cycle Stand) पर ही खड़ा करें। अन्य स्थान पर खड़े किए गए वाहन की चोरी के लिए कॉलेज उत्तरदायी नहीं होगा।
- (x) किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा समस्या के समाधान के लिए कोई भी विद्यार्थी प्राचार्य से किसी भी समय मिल सकता है।
- (xi) सभी छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय परम्परा के अनुसार पोशाक / परिधान पहन कर आँ।
- (xii) कोई भी छात्र, छात्राओं के लिए आरक्षित Lawn में न तो बैठेगा और न ही उसमें घूमेगा। ऐसा करना दण्डनीय है।
- (xiii) किसी भी विषय में प्राचार्य महोदय का निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा।
- (xiv) विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथा हरियाणा सरकार व विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए Ragging सम्बन्धित आदेशों को ध्यान से पढ़ें व इसकी अनुपालना करें :

" Ragging in educational institutions is banned and anyone indulging in ragging is likely to be punished appropriately with punishment which may include expulsion from the Institution, suspension from the Institution or classes for a limited period or fine with a public apology. The punishment may also take the shape of (i) withholding scholarships or other benefits (ii) debarring from representation in event (iii) withholding results (iv) suspension or expulsion from hostel or mess and the like. If the individuals committing or abetting ragging are not/cannot be identified, collective punishment can be awarded to act as a deterrent."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ragging की दी गई परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित है :
"Ragging as any act which violates the dignity of the individual student or is perceived to violate his/her dignity."



Courses under Grant-in-Aid

त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम –

1. कला (Arts) – 800 Seats
2. विज्ञान (Science - Non. Medical) – 160 Seats
3. विज्ञान (Science - Medical) – 80 Seats
4. वाणिज्य (Commerce) – 160 Seats

Courses under Self Financing Scheme

त्रि-वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम –

1. विज्ञान (Science - Non. Medical with Physics, Chemistry, Maths) – 80 Seats
2. विज्ञान (Science - Non. Medical with Physics, Maths, Computer Science) – 80 Seats

द्वि-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम –

1. एम0 ए0 राजनीति शास्त्र – 40 Seats
2. एम0 ए0 भूगोल – 60 Seats
3. एम0 एस0 सी0 गणित– 60 Seats

उपरोक्त सभी कक्षाओं में सहशिक्षा की व्यवस्था है।

यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक कक्षाओं या स्कीम के अन्तर्गत आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक कक्षा व स्कीम के लिए अलग-अलग प्रवेश पत्र (Admission Form) जमा करवाना होगा।

Promotion under Semester system

For this session i.e. 2016-17, unless otherwise specified in any ordinance, the students will be promoted to the next semester/class automatically provided he/she is eligible to appear in the lower semester examination. However, for promotion to **5th semester** he/she must have **cleared all the papers of 1st semester** unless otherwise specified in any ordinance.



प्रवेश विधि एवं नियम (ADMISSION)

प्रवेश पाने के लिए महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त विवरणिका में संलग्न प्रवेश-पत्र निश्चित तिथियों तक भर देना चाहिये। प्रवेश-पत्र छात्रों द्वारा साफ लिखाई से भरे होने तथा निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ लगे होने पर ही स्वीकृत किये जा सकेंगे।

क) कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं के लिए :

1. मैट्रिकुलेशन/सीनियर सैकेण्डरी भाग द्वितीय परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. अन्तिम बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. अपना पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो जिस पर छात्र के हस्ताक्षर हों तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

ख) कॉलेज में तृतीय व पंचम सेमेस्टर में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं के लिए :

विश्वविद्यालय परीक्षा के परिणाम-पत्रों की प्रतिलिपि व अपना हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो।

ग) निम्नलिखित विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा :

- 1) पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को।
- 2) जिन विद्यार्थियों को अध्ययन छोड़े हुए दो या दो से अधिक वर्ष हो चुके हैं।
- 3) किसी भी विषय अथवा कक्षा में 30 से कम विद्यार्थी होने पर महाविद्यालय को अधिकार होगा कि उस विषय एवं कक्षा को प्रारम्भ ही न करे। उसमें प्रवेश वांछित-संख्या पूर्ण होने पर ही दिया जायेगा।

घ) अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों व विमुक्त जाति से सम्बन्ध रखने वाले विद्यार्थी व अन्य विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति लेने के बारे में जानना चाहते हैं वे सब **पृष्ठ 12 से 14 तक** पढ़ कर अपने लिए सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। माइग्रेशन करवाकर इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों का प्रवेश अस्थाई होता है। यदि उनके प्रमाण-पत्र दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो उनका प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाता है और वे परीक्षा में बैठने के अधिकारी नहीं होते।

नोट :-

1. विद्यार्थी केवल अपने पिता/माता/संरक्षक की अनुमति से ही महाविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उनको अपने आवेदन पर अपने पिता/माता/संरक्षक के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे।
2. अपूर्ण आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
3. प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को स्वयं महाविद्यालय-प्रवेश समिति के सम्मुख उपस्थिति होना होगा तथा सारे प्रमाण-पत्र मूल रूप से दिखाने होंगे।
4. प्रवेश के लिए चुने जाने पर प्रवेश-तिथियों की अनुसूची में दी गई अवधि तक यदि छात्र महाविद्यालय के कार्यालय में शुल्क आदि जमा नहीं करायेगा तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा।
5. किसी भी विद्यार्थी को बिना कारण बताये प्रवेश से इन्कार करने का अधिकार प्राचार्य को है।
6. विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी ने कोई परीक्षा पहले से ही पास कर रखी हो तो उसे पुनः उसी कक्षा की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः जिस विद्यार्थी ने किसी कक्षा की परीक्षा पहले से ही पास कर ली हो तो उसे उस कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा।
7. बोर्ड के नियमानुसार किसी भी संकाय से जो कक्षा पहले उत्तीर्ण की गई हो तो अन्य संकाय में उसी कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकेगा।
8. **जिन विद्यार्थियों ने B.Sc. I में (Self Financing Scheme) के तहत दाखिला लिया था उनका B.Sc. II (3rd Sem.) व B.Sc. III(5th Sem.)का दाखिला केवल (Self Financing Scheme) के तहत ही होगा।**



स्नातक कक्षाओं के लिए पात्रता शर्तें

(A) मानविकी संकाय (Art Group)

बी0 ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने के लिए **33%** अंक अनिवार्य हैं। (SC/ST के मामले में न्यूनतम पास अंक)

अनिवार्य विषय – अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर के साथ हिन्दी (अनिवार्य)अथवा संस्कृत (अनिवार्य) विषय प्रत्येक विद्यार्थी को लेने होंगे।

ऐच्छिक विषय – हिन्दी (ऐच्छिक), संस्कृत (ऐच्छिक), इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित में से प्रत्येक विद्यार्थी को कोई दो विषय लेने होंगे। संस्कृत एवं अर्थशास्त्र साथ-साथ नहीं लिए जा सकते।

नोट :- i) **प्रत्येक विद्यार्थी को हिन्दी अनिवार्य (Compulsory) अथवा ऐच्छिक (Opt.) में से एक लेना होगा।**

ii) भाषा का जो विषय अनिवार्य के रूप में लिया जाएगा, वह ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं लिया जा सकता।

iii) इतिहास, राजनीति शास्त्र में अलग आप्शन नहीं होगा, सभी छात्रों को एक ही आप्शन पढ़ना होगा।

(B) विज्ञान संकाय (Science Group)

B.Sc. प्रथम समेस्टर (नॉन-मैडिकल) में प्रवेश के लिए **45%** अंक अनिवार्य हैं। (SC/ST के मामले में न्यूनतम पास अंक)

अनिवार्य विषय-अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर शिक्षा, गणित, रसायन शास्त्र या कम्प्यूटर साईंस(Under SFS)

1. **B.Sc. 1st Semester (मैडिकल)** में प्रवेश के लिए **45%** अंक अनिवार्य हैं। (SC/ST के मामले में न्यूनतम पास अंक)

2. **B.Sc.I** में कम्प्यूटर साईंस विषय (80 सीट) व **B.Sc.I (Non-Medical)** में 80 सीट स्ववित्त पोषित योजना (SFS) में है। इस विषय का शुल्क 900 रुपये मासिक अन्य निर्धारित फीस से अतिरिक्त है।

(C) वाणिज्य संकाय (Commerce Group)

B.Com. प्रथम समेस्टर में प्रवेश के लिए **40%** अंकों की अनिवार्यता है। (SC/ST के मामले में न्यूनतम पास अंक)

प्रत्येक विद्यार्थी को **B.Com. प्रथम समेस्टर** में निम्नलिखित विषय लेने होंगे।

Business Communications, Financial Accounting, Business Mathematics, Business Management, Economics and Basic of Computer.

B.Com. तृतीय समेस्टर में निम्नलिखित विषय लेने होंगे।

1. Corporate Accounting 2. Business Statistics 3. Business Regulatory Framework 4. Corporate Law
5. Macro Economics 6. Optional

B.Com. पाँचवे समेस्टर में निम्नलिखित विषय लेने होंगे।

1. Taxation Law 2. Cost Accounting 3. Auditing for Management 4. Financial Market Operations
5. International Business Environment 6. Optional

नोट:- विद्यार्थियों को पर्यावरण विज्ञान एवं कम्प्यूटर (Level-1) विषय की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा उसका अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा और स्नातक उपाधि भी प्रदान नहीं की जायेगी।



Instructions for Admission in Post-Graduate Classes

- I) Admission will be made purely on merit basis as per M.D.U. Rohtak Norms/guidelines.
- ii) Head of the concerned department can be contacted on any working day to answer the queries, if any.
- (iii) **Total Seats :**
 - M.A. (Political Science) - 40
 - M.A. (Geography) - 60
 - M.Sc.(Mathematics) - 60.

Each application form should be accompanied by :-

- (a) Character certificate from the Head of the Institution last attended.
- (b) Certificate showing marks obtained in each subject in the qualifying examination passed.
- (c) Detail Marks Certificates of 1st, 2nd and 3rd year Examination of Bachelor's degree.
- (d) Matriculation or equivalent examination certificate in support of the date of birth.
- (e) A certificate in case of candidate belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Class.
- (f) A certificate of (s) claiming reservation for other categories, if any.
- (g) One passport size photograph (duly attested) & signed by the candidate.

NOTE :

Application forms received incomplete in any respect or without attested copies of the required documents/Certificates or received after the due date shall be summarily rejected.

The minimum requirements for admission to 1st semester of Post Graduate Class

M.A. (Political Science & Geography)

Bachelor's degree/Shastri Examination (New Scheme) of three years duration with at least 45% in aggregate or any other examination recognized as equivalent thereto.

M.Sc. Mathematics

B.A./B.Sc. (Hons.)in Mathematics/B.A. or B.Sc. (Pass) with Mathematics as one of the main subject with atleast 50% marks in aggregate or any examination recognised by M.D. University, Rohtak as equivalent thereto.

NOTE :

- (i) Only SC candidates of Haryana shall be granted reduction/relaxation of 5% marks in the eligibility condition in all the courses in the marks required for general category.

Example: In a course, a general candidate requires to have 50% marks, then as per Govt.



Instruction by giving 5% relaxation the minimum eligibility marks for a SC/ST candidate should be calculated as under:-

Out of 100 marks needs to less=5

Out of 1 mark needs to less=5/100

Out of 50 marks needs to less=5/100x50=2.50

This way, minimum less mark where general category candidate required to have 50% marks in a prescribed qualification, the total required marks for a reserved candidate will be 47.50% and not 45.

- (ii) A candidate who is placed under compartment in qualifying examination shall not be allowed to join any Post Graduate Course.
- (iii) A person who has passed post graduate examination shall be allowed admission in another P.G. Course in any of the department of the college.
- (iv) The marks obtained by the candidate in an additional subject be considered for calculating the merit percentage for admission to P.G. Course if the candidate is seeking admission in that subject after eliminating the lowest marks secured by the candidate in any of the other subjects.

ADMISSION PROCEDURE :

1. A merit list category wise, of all the selected candidates showing their merit position will be displayed on the Notice Board in the Department concerned and the notice board on the enquiry counter. Such candidates should contact the admission committee in person and their admission will be effective by payment of fees before the prescribed date. In case a candidate does not deposit the fees/dues with-in the prescribed period notified for the purpose his claim for admission will be forfeited and the seat will be given to the next candidate in order of merit. No correspondence will be entertained in this regard.
2. The original documents/certificates of the candidates will be verified by the admission committee before allowing the candidates to deposit fees/dues and these certificates/documents will be retained by him for sending the same to the Registration Branch. Under no circumstances, the documents will be returned to the candidate seeking admission to a Course before registration of his candidature.
3. The names of the candidates who after seeking admission remain absent from the classes continuously for 15 days may be struck off.
4. All admissions will be provisional and subject to the production of the requisite certificates in original and confirmation there of by the University.

20% marks in each written paper including viva-voce, Seminar etc. shall be assigned for internal assessment.



वार्षिक एवं मासिक शुल्क सूची
(Annual & Monthly Dues)

क) वार्षिक	रूपये
1. विश्वविद्यालय पंजीयन शुल्क (केवल अपंजीकृत विद्यार्थियों के लिए)	300.00
2. विश्वविद्यालय क्रीड़ा शुल्क	120.00
3. विश्वविद्यालय युवक कल्याण कोष	60.00
4. विश्वविद्यालय अवकाश निकेतन शुल्क	20.00
5. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कोष	10.00
6. विश्वविद्यालय निरन्तर अध्ययन शुल्क	100.00
7. महाविद्यालय प्रवेश शुल्क (पहली बार प्रवेश लेने पर ही यह शुल्क देना होगा निरन्तर अध्ययनरत छात्रों से यह हर वर्ष नहीं लिया जाता)	100.00
8. पुस्तकालय सुरक्षा निधि (वापिस देय)	500.00
9. विज्ञान सुरक्षा निधि (वापिस देय)	200.00
10. भवन रक्षण तथा निर्माण शुल्क	100.00
11. महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	120.00
12. गृह परीक्षा एवं स्टेशनरी शुल्क	100.00
13. स्वास्थ्य सेवा शुल्क	23.00
14. निर्धन विद्यार्थी सहायता शुल्क	20.00
15. जीर्णोद्धार शुल्क	50.00
16. साईकिल/स्कूटर शुल्क	100.00
17. परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड शुल्क	20.00
18. विद्यार्थी परिषद् शुल्क	12.00
19. यूथ रेड क्रॉस शुल्क	60.00
20. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (प्रति समेस्टर)	400.00
21. विषय शुल्क-पर्यावरण विज्ञान (केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए।)	200.00
22. पुस्तक क्षतिपूर्ति निधि	10.00
23. जल एवं विद्युत शुल्क	300.00
24. जनरेटर शुल्क	100.00
25. पत्र-व्यवहार शुल्क	100.00
26. फर्नीचर रिपेयर शुल्क	50.00
27. Lab Maintenance Fee	20.00



28.	विश्वविद्यालय विकास शुल्क	150.00
29.	डॉ० राधाकृष्णन फाउन्डेशन शुल्क	70.00
30.	विकास शुल्क	240.00
31.	अतिरिक्त अध्यापन शुल्क	60.00
32.	शैक्षणिक यात्रा शुल्क	40.00
33.	श्रव्य/दृश्य सहायता शुल्क	25.00
34.	विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम शुल्क	50.00

ख)	मासिक	रूपये
1.	अध्यापन शुल्क	30.00
2.	संयुक्त कोष (पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक आयोजन सम्बन्धित)	(U.G. Classes) 25.00 (P.G. Classes) 30.00
3.	कम्प्यूटर प्रायोगिक शुल्क Only for B.Com. I Students	80.00
4.	विज्ञान प्रायोगिक अध्ययन शुल्क (प्रति विषय)	80.00
5.	भूगोल प्रायोगिक अध्ययन शुल्क (स्नातक कक्षाओं के लिए)	50.00
6.	गणित प्रायोगिक अध्ययन शुल्क For B.A. IVth & Vth Semester	80.00
7.	कम्प्यूटर शिक्षा शुल्क Only for B.A./B.Sc. I Students (Except Computer Science. Students)	100.00
8.	Computer Science Fee (For B.Sc. I, II and III year)	900.00
9.	B.Sc. Non Med. (SFS) (For II and III year)	900.00
10.	B.Sc. Non.Med.(SFS) First year (Including Computer Fee)	900.00
11.	Tuition Fee for P.G. Classes (SFS)	1000.00
12.	Practical Fee for P.G. Classes (SFS)	250.00
13.	Date of Submission of Documents for registration in the university up to One month from date of Admission	Nil
	Upto 30th Nov. 2016	500.00
	Upto 31 January 2017	1000.00
	Upto 31 March 2017	2000.00



छात्रवृत्ति तथा वित्तीय सहायता

महाविद्यालय में विद्यार्थी-सहायता-कोष की व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत योग्य तथा निर्धन छात्रों को पुस्तकें खरीदने तथा अध्यापन शुल्क आदि देने के लिए सहायता दी जाती है। इसके लिए भी आवेदन निर्धारित फार्म पर ही दिया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों/पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु शर्तें

महाविद्यालय में प्रवेश के समय अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित छात्रों को हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार शुल्क की छूट प्रदान की जाती है। शुल्क माफी के लिए नीचे लिखे प्रमाण-पत्रों/शपथ-पत्रों की सत्यापित प्रतियां दाखिले के समय प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो फीस माफी नहीं होगी। हरियाणा सरकार इन छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। जिसे प्राप्त करने के नियम इस प्रकार हैं-

- 1) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय सीमा 2,50,000/- रुपये निश्चित है।
- 2) पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय सीमा 1,00,000/- रुपये निश्चित है।
- 3) प्रवेश के समय फीस माफ करवाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑन-लाईन भरना अनिवार्य है, अन्यथा माफ की गई फीस वापिस जमा करानी होगी।
- 4) भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रकार की छात्रवृत्ति लेने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना का बैंक खाता व आधार नम्बर होना अनिवार्य है। आधार नम्बर को बैंक खाते से लिंक करवाना आवश्यक है, अन्यथा छात्रवृत्ति की राशि बैंक खाते में जमा नहीं होगी।
- 5) जिन विद्यार्थियों ने बैंक खाता पहले खुलवा रखा है उनके लिए बैंक खाता प्रधानमंत्री जन-धन योजना में बदली करवाना आवश्यक है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों/पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र

- 1) जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- 2) पिछली कक्षा के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- 3) पिता/अभिभावक की वर्तमान वित्तीय वर्ष की कुल आय का प्रमाण पत्र। (First Class मजिस्ट्रेट द्वारा जारी)
- 4) (सरकारी/अर्धसरकारी व अन्य उपक्रमों में कार्यरत अभिभावकों के लिए विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है)
- 5) ड्राफ्ट डिविलरेशन मूल रूप में (Original) (पृष्ठ 14 पर दिए गये प्रारूप के अनुसार)
- 6) राशन कार्ड की प्रति
- 7) आधार कार्ड की प्रति
- 8) बैंक खाते की प्रति
- 9) हरियाणा डोमिसाईल प्रमाण-पत्र की प्रति
- 10) एक से अधिक छात्रवृत्ति न लेने का शपथ पत्र (पृष्ठ 14 पर दिये गये प्रारूप के अनुसार)



विशेष :-

- (क) पिता के जीवित होने पर केवल पिता द्वारा ही सारे शपथ पत्र व दाखिला फार्म हस्ताक्षरित किये जायेंगे।
- (ख) पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता व दोनों की मृत्यु की स्थिति में अन्य परिजन अभिभावक माना जाता है।
- (ग) पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनका तथा पिता व माता की मृत्यु होने की स्थिति में दोनों की मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (घ) वेतन भोगियों द्वारा प्राप्त मकान भत्ते को आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ङ.) यह सभी छात्रवृत्तियाँ केवल भारतीय नागरिकों को दी जाती है।
- (च) अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की पढ़ाई में अन्तराल (गैप) हो तो इसके बारे में छात्र के पिता/माता/अभिभावक का सत्य स्पष्टीकरण करते हुए शपथ पत्र (तीन रू० के स्टाम्प पर) संलग्न करें। मूल रूप में छात्रवृत्ति फार्म के साथ और सत्यापित प्रतिलिपि दाखिला फार्म के साथ लगाएं।

उपर्युक्त सुविधाएं छात्रों को केवल तब तक मिलेंगी जब तक कि :

1. वह चरित्रवान रहेगा।
2. महाविद्यालय में अपना अध्ययन सन्तोषजनक रूप में करेगा।
3. छात्र प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किसी आपत्तिजनक आन्दोलन में भाग नहीं लेगा।
4. किसी कर्मचारी वर्ग के साथ असम्मानजनक व्यवहार के कारण दण्डित नहीं किया गया होगा।
5. छात्र अपने कार्य में अनियमितता या उन्माद नहीं करेगा।
6. कॉलेज के अनुशासन को किसी भी रूप में भंग नहीं करेगा।

नीचे लिखी छात्रवृत्तियाँ भी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन करने के लिए दाखिले के तुरन्त बाद कार्यालय में सम्पर्क करें।

1. राजकीय योग्यता छात्रवृत्ति।
2. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति।
3. विकलांग छात्रों को सहायता छात्रवृत्ति।
4. पूर्व सैनिक पुत्रों को सहायता छात्रवृत्ति।
5. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति।
6. स्वतंत्रता सेनानियों के तीसरी पीढ़ी तक के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। (जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है)
7. अल्प आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति आय सीमा 12,000/- रुपये वार्षिक है।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग के निराश्रित/अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों व BPL छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति।



शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं सुपुत्र/सुपुत्री कक्षा रोल नं० यह घोषणा करता/करती हूँ कि

1. मैं जाति या मैरिट के आधार पर हरियाणा सरकार या अन्य किसी विभाग द्वारा दी जाने वाली केवल एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा/रहीं हूँ।
2. यदि भविष्य में यह पाया गया कि मैंने एक स्कीम के अन्तर्गत एक से अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो प्राप्त की गई छात्रवृत्ति की अधिक राशि को ब्याज सहित कॉलेज में जमा करवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी।
3. इस महाविद्यालय के अतिरिक्त मेरा किसी अन्य शिक्षण संस्थान/कोचिंग सैन्टर में प्रवेश नहीं है।

(हस्ताक्षर छात्र)

DRAFT DECLARATION BY PARENT/GUARDIAN (Issued by First Class Magistrate)

I _____ Son/Daughter/Wife of Shri _____ resident of _____ hereby declare as follows :-

(i) That my son/daughter/ward/wife _____ (Name of student) studying in class _____ in _____ (course & year) _____ (Full name of school/college with address)

(ii) That I _____ authorise the State Government of Haryana or the scholarship disbursing officer or any other officer appointed by the State Government on this behalf to recover the scholarship amount received by my son/daughter/wife _____ (name of student) under the Centrally Sponsored Scheme of _____ (Name of Scheme) from myself or my legal heirs along with interest and panalty, as fixed by the State Government or the scholarship disbursing officer, in the form of outstanding land rent or any other means if my son/daughter/wife is found to have obtained the scholarship by furnishing False statement/documents.

Signature of Father/Guardian/Husband of the student

विशेष :

1. हर प्रकार की सहायता के लिए विद्यार्थियों को स्वयं प्रार्थना पत्र देना होगा।
2. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए विद्यार्थी का पंजाब नैशनल बैंक की कॉलेज शाखा में बचत खाता प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।
3. हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थी द्वारा जमा किये गए आय प्रमाण पत्र की जाँच प्राचार्य द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी। आय प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।



राष्ट्रीय कैडेट कोर (N.C.C.)

राष्ट्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्थाई सेना के अतिरिक्त देश के समस्त नागरिकों पर भी है। अतएव यह आवश्यक है कि राष्ट्र के भावी नागरिक अनुशासित, सुप्रशिक्षित, सचेत, सचेष्ट एवम् साहसी हों, इस उद्देश्य की पूर्ति में एन० सी० सी० एक अति महत्वपूर्ण तथा प्रभावी माध्यम है। यह नवयुवकों में राष्ट्र सुरक्षा के आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास, नेतृत्व और संगठन की भावना उत्पन्न करने में बहुत सहायक है। इसीलिए एन० सी० सी० सेना में भर्ती के उद्देश्य से तथा अन्य संस्थाओं में युवाओं के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होता है। जो छात्र एन० सी० सी० का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश के तुरन्त बाद एन० सी० सी० कार्यालय में लेफ्टिनेंट अशोक कादयान तथा लेफ्टिनेंट विपिन पाल से सम्पर्क करके एन० सी० सी० का प्रवेश-पत्र भर देना चाहिए। एन० सी० सी० की 3/11 कम्पनी में कुल 160 कैडेट एवं 4/11 प्लाटून में कुल 53 कैडेट प्रवेश पा सकते हैं। एन. सी. सी. की सुविधा छात्राओं हेतु भी उपलब्ध है। जिसमें एक प्लाटून में कुल 54 छात्राएँ प्रवेश पा सकती हैं। प्रत्येक कैडेट को एन० सी० सी० कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जो छात्र दो वर्ष की अवधि में 75% परेडों में तथा एक कैम्प में भाग लेता है वह 'बी' सर्टिफिकेट की परीक्षा में बैठने का पात्र है। तीसरे वर्ष में निर्धारित परेडों में उपस्थित होने पर तथा दो कैम्पों में भाग लेने पर छात्र 'सी' सर्टिफिकेट की परीक्षा दे सकता है। छात्रों के लिए परेड के दौरान वर्दी में होना अनिवार्य है। एन.सी.सी. में प्रवेश केवल प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को दिया जायेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

“वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को चरित्रार्थ करते हुए तथा छात्रों में राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने तथा उसके द्वारा राष्ट्र एवं समाज की उन्नति में सक्रिय योगदान के लिए महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन छात्रों/छात्राओं को समाज सेवा सम्बन्धी कार्यों जैसे : सफाई अभियान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के अतिरिक्त उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन यन्त्रों इत्यादि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 200 छात्रों और 100 छात्राओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। जो छात्र/छात्राएँ एन० एस० एस० का प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हों उन्हें चाहिए कि वे महाविद्यालय में प्रवेश के तुरन्त बाद एन० एस० एस० का प्रवेश-पत्र भी भर दें और अधिक जानकारी के लिये कार्यक्रम अधिकारी डॉ० यशवीर सिंह, श्री रोशन लाल तथा श्रीमती हेमलता से सम्पर्क करें। छात्र एन० सी० सी० या एन० एस० एस० में से केवल एक की ही सदस्यता ले सकता है।

ट्यूटोरियल वर्ग, ट्यूटोरियल ग्रुप्स का विभाजन अवकाश प्राप्ति तथा जुर्माना माफी

महाविद्यालय के छात्रों को व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखने के अवसर प्रदान करने के लिए उनको विभिन्न ट्यूटोरियल वर्गों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार बनाये जाने वाले प्रत्येक वर्ग को एक प्राध्यापक के सुपुर्द किया जाता है जिसे उस वर्ग विशेष का ट्यूटर कहा जाता है। ट्यूटर अपने ट्यूटोरियल वर्ग के सदस्यों के लिए अभिभावक तथा पथ-प्रदर्शक का कार्य करते हुए उनके समुचित विकास में सहायता करते हैं। अभिभावकों को अपने पुत्र/पुत्री की गतिविधियों के बारे में जानने हेतु समय-समय पर ट्यूटर-प्राध्यापकों से नियमित सम्पर्क रखना चाहिए। प्रत्येक छात्र को हर प्रकार की सुविधाओं तथा नियमों की जानकारी अपने ट्यूटर से ही मिल सकेगी। प्रत्येक छात्र को अपने अध्ययन काल में अपने अवकाश, परीक्षा, विशेष यात्रा प्रमाण-पत्र तथा गोष्ठियों में भाग लेने आदि सभी प्रकार के कार्यकलापों के लिये अपने ट्यूटर से निरन्तर सम्पर्क रखना चाहिए। उनके सभी कार्यों का अनुमोदन तथा संस्तुतिकरण ट्यूटर करेंगे।



आन्तरिक मूल्यांकन

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के नियमानुसार स्नातक की तीनों कक्षाओं/संकायों तथा स्नातकोत्तर के सभी विषयों में विद्यार्थियों के आन्तरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। आन्तरिक मूल्यांकन से विद्यार्थी जितने अंक अर्जित करेंगे वे अंक उनकी विश्वविद्यालय की अंक तालिका में जुड़ेंगे। आन्तरिक मूल्यांकन का आधार कक्षा में उपस्थिति, **Sessional test assignments** आदि होंगे। अतः विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें तथा महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं को गम्भीरता से लें।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा आयोजित सैशनल परीक्षा देना अत्यन्त अनिवार्य है। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा उसे सैमेस्टर की परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है तथा वह आर्थिक दण्ड का भी भागीदार होगा। **Odd Semesters (I, III & V)** के लिए ये परीक्षाएँ **Sept. & November** तथा **Even Semester (II, IV & VI)** के लिए **February** व **March** के महीनों में आयोजित की जाएगी। **Sessional** परीक्षाओं में अर्जित अंक आन्तरिक मूल्यांकन का आधार रहेगा।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें। विश्वविद्यालय के नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में कम से कम **65%** हाजरी अर्जित करनी आवश्यक है, अन्यथा उसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित **Semester** की परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाएगा। लगातार **15** दिन तक बिना किसी लिखित सूचना व प्राचार्य महोदय की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय से काटा जा सकता है जो कि विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक की लिखित प्रार्थना पर निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर केवल एक बार ही दोबारा लिखा जा सकेगा। अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्रा से **5/-** रुपये प्रति पीरियड/प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जायेगा।

महाविद्यालय से नाम कटवाने व सुरक्षा निधि की वापसी

महाविद्यालय छोड़ने के इच्छुक छात्र उस समय तक फीस तथा कॉलेज का सामान आदि देकर पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र देकर कॉलेज से अपना नाम कटवा सकते हैं।

यदि किसी छात्र ने औपचारिक रूप से नाम कटवाने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो उसकी बकाया राशि उसकी ओर तब तक रिकार्ड में देय रहेगी जब तक वह उसका भुगतान नहीं कर देता। जब भी विद्यार्थी कॉलेज कार्यालय में कोई भी काम करवाने आएगा, तब उक्त राशि का भुगतान किए बिना उसका काम नहीं होगा।

कॉलेज प्रतिभूति लौटाने हेतु आवेदन प्रपत्र कॉलेज द्वारा निर्धारित फार्म पर सत्र समाप्ति के उसी वर्ष में **10 जनवरी से 10 मार्च तक** स्वीकार किए जाएंगे और इसके बाद नियमानुसार छात्र की प्रतिभूति किसी भी दशा में नहीं लौटाई जा सकेगी। निर्धारित समयावधि में फार्म न भरने पर या त्रुटिपूर्ण होने पर प्रतिभूति न लौटाए जाने की दशा में छात्र स्वयं जिम्मेवार होगा व कॉलेज का कोई दायित्व नहीं होगा।



एजुसैट (Edusat)

उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय कदम उठाते हुए राज्य के छात्र-छात्राओं को उपग्रह के माध्यम से अति-विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने तथा देश में उपलब्ध आधुनिक तकनीकों का सदुपयोग करने का बीड़ा उठाया है। विकास के नित नये आयामों को स्थापित करने में प्रथम हरियाणा एजुसैट के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेगा। हमारे महाविद्यालय में एजुसैट का अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। श्री छाजुराम (भौतिकी विभाग) इसके संयोजक हैं।

मतदाता सूची में पंजीकरण सुविधा

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है। भारत सरकार तथा निर्वाचन आयोग का हमेशा से ही यह प्रयत्न रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की भागीदारी रहे ताकि वे राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका अदा कर सकें। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। जिन विद्यार्थियों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तथा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी Nodal Officer श्री नरेन्द्र पंवार (राजनीति शास्त्र विभाग) से सम्पर्क करें।

कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ

विद्यार्थियों के दिन-प्रतिदिन के जीवन में आने वाली कानूनी पेचीदगियों की जानकारी देने के लिए तथा कानूनी साक्षरता को बढ़ाने के लिए महाविद्यालय में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके संयोजक श्री सुरेन्द्र कुमार (राजनीति शास्त्र विभाग) हैं।

महिला एवं यौन शोषण निरोधक प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में महिला एवं यौन शोषण निरोधक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ को स्थापित करने का उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उनकी समस्याओं के समाधान को खोजना तथा समाज व जीवन के हर पहलू में महिला-पुरुष की भागीदारी को सही रूप से रखना। दिन-प्रतिदिन महिलाओं के प्रति बढ़ रहे यौन शोषण के मामलों के प्रति भी यह प्रकोष्ठ काफी गम्भीर है। महाविद्यालय में इस प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे इसके लिए यह प्रकोष्ठ हमेशा तत्पर रहता है तथा आवश्यक कदम उठाता है। छात्राओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी सभी समस्याओं के निदान के लिए प्रकोष्ठ की प्रभारी श्रीमती अमिता मलिक (वनस्पति विज्ञान विभाग) से सम्पर्क करें।

संग्राहलय

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गौरवमयी परम्पराओं का बोध करवाने एवं उनमें हमारी नष्ट होती धरोहर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु इतिहास विभाग द्वारा एक संग्राहलय की स्थापना भी की गई है। इस संग्राहलय में चरखी दादरी क्षेत्र से प्राप्त दुर्लभ सिक्कों, मूर्तियों, मृद्भाण्डों के टुकड़ों, ईंटों, खिलौनों एवं अन्य सामग्री को प्रदर्शित किया गया है। संग्राहलय में भारतीय इतिहास एवं क्षेत्रीय इतिहास के दुर्लभ चित्रों को भी संजोकर रखा गया है। विद्यार्थियों में अपनी धरोहर के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने में संग्राहलय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। डॉ० यशवीर सिंह इसके प्रभारी हैं।



पुस्तकालय एवं वाचनालय (Library & Reading Hall)

छात्रों की ज्ञानवृद्धि के लिए महाविद्यालय में एक बहुत अच्छा पुस्तकालय है। वाचनालय पुस्तकालय में ही इसी के एक भाग के रूप में है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर लगभग 40000 पुस्तकें हैं। वाचनालय में 20 समाचार-पत्र तथा 35 पत्रिकाएं (Magazine) नियमित रूप से आती हैं।

लगभग 6000 से अधिक ई-जर्नल व एक लाख से अधिक ई-बुक्स भी उपलब्ध हैं।

योग्य छात्रों को पूरे शिक्षा सत्र (Academic Session) के लिए प्रतिभूति (Security) पर भी पुस्तकें दी जाती हैं। इसके लिए छात्र को प्रार्थना-पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष को देना चाहिए।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम :

- 1) पुस्तकालय तथा इसका अध्ययनकक्ष छात्रों के लिए महाविद्यालय के सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से सांय 4 बजे तक खुला रहेगा।
- 2) छात्रों को पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें केवल 20 दिन तक ही रखने की अनुमति है। निश्चित अवधि में पुस्तक न लौटाने पर 50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-शुल्क देना होगा।
- 3) पुस्तकालय-कार्ड पर छात्र अधिकतम दो पुस्तकें ले सकता है।
- 4) पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें अच्छी स्थिति में ही लौटनी चाहिए।
- 5) पुस्तक लेते समय छात्र द्वारा उसका निरीक्षण कर लेना आवश्यक है अन्यथा उसे लौटाते वक्त पुस्तक में दोष पाये जाने पर नई पुस्तक देनी होगी या पुस्तकालय प्रमुख द्वारा निर्धारित मूल्य देना होगा।
- 6) पुस्तक को खो देने, फाड़ देने या अन्य प्रकार से पुस्तक को खराब कर देने पर उसका मूल्य या उस पुस्तक का नवीनतम संस्करण जमा कराना होगा।
- 7) पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिए छात्रों को एक पुस्तकालय-कार्ड प्रदान किया जाएगा जिस पर पुस्तक लेते और देते समय पुस्तकालय क्लर्क के हस्ताक्षर होंगे। इस पुस्तकालय कार्ड के खो जाने पर पचास रुपये जमा करवाकर डुप्लीकेट नवीन कार्ड बनवाया जा सकेगा।
- 8) पुस्तकालय कार्ड एवं परिचय-पत्र का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता।
- 9) साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रों के नवीनतम संस्करण बाहर ले जाने के लिए वितरित नहीं किए जायेंगे, पुराने संस्करण भी केवल एक दिन के लिए ही दिए जा सकेंगे।
- 10) सन्दर्भ ग्रन्थों को पुस्तकालय से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है।
- 11) समाचार पत्र व पत्रिकाएं पुस्तकालय में ही पढ़नी चाहिए, लौटाते समय उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने पर दण्ड का भागी होना पड़ेगा।
- 12) छात्र के पास परिचय-पत्र होना आवश्यक है विशेषकर जबकि वह महाविद्यालय के परिसर अथवा पुस्तकालय में हो। अधिकारी के मांगने पर इसे दिखाना अनिवार्य है।
- 13) छात्रों को समय-समय पर पुस्तकालय द्वारा सूचित किये गये नियमों को जानना जरूरी है अन्यथा भूल करने पर वे दण्ड के भागी होंगे।
- 14) पुस्तकालय में शान्त तथा नियम पूर्वक रहना आवश्यक है किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर छात्र दण्ड का भागी होगा और साथ ही उसे पुस्तकालय के लाभ से वंचित किया जा सकता है।



निर्देशन/सलाह केन्द्र (Guidance/Counselling Cell)

विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं, छात्रवृत्ति, अन्य नए-नए कोर्सेस, रोजगार आदि की समग्र जानकारी देने के लिए महाविद्यालय परिसर में एक निर्देशन/सलाह केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र विद्यार्थियों को साक्षात्कार एवम् रोजगार के लिए संवाद कौशल व व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षित करता है। समय-समय पर अपने-अपने विषयों में दक्षता प्राप्त विभूतियों को आमन्त्रित कर विद्यार्थियों से रुबरू कराता है जिससे विद्यार्थियों को नई-नई जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे प्रतिष्ठित कम्पनियों में तथा उच्च संस्थानों में रोजगार व उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को गौरवमयी बना सकें। इसके प्रभारी डॉ० पी. के. अग्रवाल (अंग्रेजी विभाग) हैं।

खेलकूद सुविधाएँ

“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है” इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में विभिन्न खेल-कूद सुविधाओं की उचित व्यवस्था है। विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए फुटबाल, क्रिकेट, बैडमिन्टन, खो-खो, मुक्केबाजी, टेबल-टैनिंस, शतरंज, कबड्डी, कुश्ती तथा एथलैटिक्स आदि खेलों की छात्र व छात्राओं दोनों के लिए समुचित व्यवस्था है। इसके लिए महाविद्यालय में एक विशाल स्टेडियम तथा जिमनेजियम भी है। खेलकूद के क्षेत्र में महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने अनेक स्वर्णिम उपलब्धियाँ अर्जित की हैं तथा विश्वविद्यालय, अन्तर्विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धाओं में सम्मानजनक उपलब्धियाँ अर्जित करते हुए महाविद्यालय तथा प्रदेश का नाम रोशन किया है। खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रवेश के तुरन्त बाद शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉ. भूपेन्द्र सिंह से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सांस्कृतिक प्रकोष्ठ (Cultural Cell)

विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ सर्वांगीण विकास प्रदान करना महाविद्यालय की प्राथमिकता रहा है। इसके लिए कॉलेज के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का गौरवमयी इतिहास रहा है जो कि वर्षभर विश्वविद्यालय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित तथा तैयार करता रहता है। जो भी विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें प्रवेश के तुरन्त बाद क्लब के प्रभारी श्री कमल नयन (संस्कृत विभाग) से सम्पर्क करना चाहिए।

विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ

छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए महाविद्यालय सदैव सजग रहता है। महाविद्यालय से जुड़े सेठ लक्ष्मी नारायण साँवड़िया हस्पताल में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जाँच कराई जाती है। गम्भीर चोट तथा बीमारी की स्थिति में विद्यार्थियों को उक्त हस्पताल में भेजा जाता है। साधारण रोग व मामूली चोट की स्थिति में महाविद्यालय में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा द्वारा इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभारी श्रीमती अमिता मलिक हैं।



महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय की 'श्यामसर' नामक पत्रिका का वर्ष में एक अंक प्रकाशित होता है जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान प्रखण्ड हैं। आत्म अभिव्यक्ति व साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए यह छात्रों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थी पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री सम्बन्धित शिक्षक सम्पादक को दे सकते हैं। इसके लिए समय-समय पर सूचनाएँ सूचना-पट्ट पर लगा दी जाती हैं।

भीति-पत्रिका (Wall-Magazine)

महाविद्यालय के छात्रों में रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने के उद्देश्य से भीति-पत्रिका अनुभाग स्थापित किया गया है। इसमें विद्यार्थी वर्षभर अपनी कविताओं, लेखों, चित्रकला, कार्टून तथा अन्य नवीनतम जानकारी के द्वारा योगदान देते रहते हैं। जिनको भीति-पत्रिका पर लगा दिया जाता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों की उत्सुक भीड़ अक्सर यहाँ देखने को मिल जाती है। डॉ० राजेन्द्र सिंह, Asstt. Prof., हिन्दी विभाग इसके प्रभारी हैं।

विभिन्न समितियाँ तथा परिषदें

अध्ययन के अतिरिक्त विद्यार्थियों की विभिन्न गतिविधियों में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए प्राध्यापकों के पथ-प्रदर्शन में निम्नलिखित परिषदें बनाई गई हैं :

- | | | |
|---|--|---|
| (1) हिन्दी साहित्य परिषद् | (2) संस्कृत साहित्य परिषद् | (3) अंग्रेजी साहित्य परिषद् |
| (4) वाणिज्य परिषद् | (5) विज्ञान परिषद् | (6) राजनीति शास्त्र परिषद् |
| (7) भूगोल परिषद् | (8) सांस्कृतिक प्रकोष्ठ | (9) रेडक्रास सर जॉन्स एम्बुलेन्स परिषद् |
| (10) उपभोक्ता जागरूकता क्लब | (11) रेडरिबन क्लब | (12) मानवाधिकार संरक्षण क्लब |
| (13) महिला व यौन शोषण निरोधक प्रकोष्ठ | (14) कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ | (15) शैक्षणिक मंच |
| (19) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ | (16) करियर गाइडैन्स व प्लेसमेंट प्रकोष्ठ | (17) सूचना अधिकार कानून प्रकोष्ठ |
| | (18) IQAC & Research Committee | |



WEIGHTAGE FOR THE PURPOSE OF MERIT (For U.G. & P.G. Classes)

- i) N.C.C. Cadets who have passed the ('C'/'G') Part - II Certificate and Scouts & Guides who have been honoured with the President Award 5 Marks
- ii) N.C.C. Cadets who have passed the 'B' Certificate 3 Marks
- iii) B.A./B.Sc./B.Com. (Hons.) candidates for admission to P.G. Course in the concerned subject. 10 Marks
- iv) Candidates who have passed Matric and 10+2 exam. as regular student from schools/college situated in rural area in Haryana, provided education has not been imparted in public of boarding school. 5 Marks
- v) Youth Welfare Activities :
Students who been recommended (1st position) at the University inter Zonal/Inter-University North Zonal/National/State/Inter-State Youth Festival & either individual or group items. 5 Marks
- viii) Candidates who have passed the qualifying examination from any of University of Haryana (For PG Courses) except candidates to be admitted against All India Quota 5 Marks
- ix) Weightage of Sports Men/Sports women.

Grade	Weightage of Marks	Grade	Weightage of Marks
A - 1	5 Marks	C - 1	2 Marks
A - 2	4 Marks	C - 2	1 Marks
B - 1	3 Marks	D	0 Marks
B - 2	2.5 Marks		

- X) Certificate of Merit for NSS/MFLP/Youth Red Cross awarded by State Govt./University 5 Marks
- Xi) Candidates who have donated blood atleast 5 times for social cause in a Govt./Govt. Approved Blood Bank 5 marks

NOTE :

- Total weightage in any case (except Hons. candidates) should not exceed 10 Marks
- In case of Honours candidates, total weightage shall not exceed 20 Marks
- Candidates claiming blood donation weightage must submit the documentary proof from the Red Cross Society/Official Blood Bank.
- Only those candidates who have passed their Secondary Exam. or Sr. Sec. Exam.(10+2) as regular students from school/college situated in rural area of Haryana are entitled for the rural area weightage except all india quota. Such candidates must produce a certificate to this effect.
- Candidates claiming sports weightage must submit certificate issued by the Director of Sports of the State concerned indicating grade. Certificate from any other Authority will not be considered.



RESERVATION OF SEATS

Reservation policy of seats, in view of Reservation Policy issued by Govt. Of Haryana vide Notification No. 22/10/2013-IGSIII dated 28-02-2013, in various programmes offered in Govt./Govt. Aided educational/technical/professional institution is as detailed below:

Category	Percentage
(a) All India Category seats (including Haryana State) (AIO)	15% of the sanctioned intake
b) State Quota	85% of the sanctioned intake
(B-1) Haryana Open General Category (HOGC)	30% of the State Quota i.e. 25.5% of total intake
(B-2) Reserved Categories of Haryana	70% of State Quota i.e. 59.5% of total intake
Scheduled Caste of Haryana (SC)	20% of State Quota (17% of total intake)
Backward Classes of Haryana (A) (BCA)	16% of State Quota (13.6% of total intake)
Backward Classes of Haryana (B) (BCB)	11% of State Quota (9.35% of total intake)
Economically Backward Person in the General Caste Category of Haryana (EBP)	10% of State Quota (8.5% of total intake)
Physically handicapped of Haryana (PH)	3% of State Quota (2.55% of total intake)

* So far as reservation to Special Backward Class (SBC) is concerned, it will be applicable as per decision of CWP NO. 2441, 6076, 13150 of 2014 and 9132 of 2015, and the notification of the State Govt. In this regard.

In the event of quota reserved for physically handicapped remain unutilized due to non availability for suitable category of handicapped candidates, it may be offered to ex-servicemen and their wards (1% and the dependant of Freedom Fighter 1%).

Further 3% reservation is also provided to Ex-servicemen/Freedom Fighter and their dependants by providing reservation within reservation of 1% of General Category, 1% out of Scheduled Caste and 1% from Backward Classes category for admission to the various educational institutions of the Govt. And Govt. Aided/institutes located in Haryana.



Guidelines for Reservation

1. A Candidate who applies for a reserved category or for both reserved and general categories will be considered first in general category. In case, he is not selected in general category, he will be considered for reserve category.

The scheduled castes/Backward classes candidates who get selected/ admitted in Educational/Professional/Technical Institutions and Universities in open competition on the basis of their own merit, will not be counted against the quota reserved for scheduled caste/Backward classes, rather they will be treated as open competition candidates. However, such candidates shall fulfill condition of eligibility regarding age etc. as are meant for general category candidates (Memo No. 13864-75 dated 24.8.2012 received from the Principal Secretary to Government of Haryana, Welfare of Scheduled Caste and Backward Classes, Department, Chandigarh).

2. Benefit of reservation will be given to all the reserved categories upto 3rd counseling according to the reservation policy given in the Information Brochure. In case at the time of 3rd counseling the reserved seats of various categories remain vacant and no eligible candidates of the reserved categories are available, these vacant seats may be thrown open to Haryana General Category. In case, the seats in Haryana General Category remain vacant at the end the same will be thrown open to All India Open Category.
3. If any seat remains vacant in sub-categories of BC(A) and BC(B), the same will be filled up through the candidates belonging to other category. For example, if any seat in BC(B) category remains vacant, the same will be filled up from BC(A) category and vice-versa.
4. A candidate having a minimum of 40% permanent disability will be considered physically handicapped for admission to a course, provided that the candidate is otherwise medically fit for the particular course. Such candidate will be admitted to the relevant courses on the basis of academic merit and not on the basis of degree of handicapped.



प्राध्यापक वर्ग

प्राचार्य डॉ० आर० एन० यादव एम० एससी०, एम०फिल्०, पीएच०डी०

कला संकाय

अंग्रेजी विभाग

- | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 1. | डॉ० पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल | एम० ए०, पीएच०डी० | | |
| 2. | श्रीमती मनीषा रानी | एम० ए०, एम० फिल्० | | |
| 3. | श्री रोशन लाल | एम० ए०, एम० फिल्० | | |
| 4. | श्री दीपक कुमार | एम० ए०, एम० फिल्० | | |
| 5. | रिक्त | 6. रिक्त | 7. रिक्त | 8. रिक्त |

संस्कृत विभाग

- | | | |
|----|----------------------|----------------------------|
| 1. | डॉ० सुशील कुमार बंसल | एम० ए०, एम०फिल्०, पीएच०डी० |
| 2. | श्री कमल नयन रंजन | एम० ए०, एम०फिल्० |

हिन्दी विभाग

- | | | |
|----|--------------------|----------------------------|
| 1. | डॉ० राजकुमार गर्ग | एम० ए०, एम०फिल्०, पीएच०डी० |
| 2. | डॉ० राजेन्द्र सिंह | एम० ए०, पीएच०डी० |
| 3. | रिक्त | 4. रिक्त |

इतिहास विभाग

- | | | |
|----|----------------|----------------------------|
| 1. | डॉ० यशवीर सिंह | एम० ए०, एम०फिल्०, पीएच०डी० |
| 2. | रिक्त | |

भूगोल विभाग

- | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | श्री अशोक कुमार | एम० ए०, एम०फिल्०, एल०एल०बी० | 1. श्री संजय सिंह—परिचारक |
| 2. | श्रीमती हेमलता | एम० ए०, एम०फिल्० | |
| 3. | रिक्त | 4. रिक्त | 5. रिक्त |

राजनीति शास्त्र विभाग

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1. | डॉ० सुरेश कुमार | एम० ए०, एम०फिल्०, पीएच०डी० |
| 2. | श्री नरेन्द्र पाल पंवार | एम० ए०, एल०एल०बी० |
| 3. | श्री सुरेन्द्र सिंह | एम० ए०, एम०फिल्० |

अर्थशास्त्र विभाग

- | | | |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | श्रीमती गरिमा श्योराण | एम० ए० |
|----|-----------------------|--------|



विज्ञान संकाय

वनस्पति विज्ञान विभाग

- | | | | |
|----|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | श्रीमती अमिता | एम० एससी०, एम०फिल्० | 1. सहायक—श्री अजय |
| 2. | डॉ० (श्रीमती) सुशीला सैनी | एम० एससी०, पीएच०डी० | |

जन्तु विज्ञान विभाग

- | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | डॉ० (श्रीमती) शमीना गुप्ता | एम० एससी०, पीएच०डी० | |
| 2. | डॉ० (श्रीमती) सुनीता | एम० एससी०, एम०फिल्०, पीएच०डी० | |

भौतिक शास्त्र विभाग

- | | | | |
|----|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | श्री जयवीर सिंह | एम० एससी० | 1- सहायक—श्री सुनील सैनी |
| 2. | श्री विपिन पाल सिंह | एम० एससी० | 2. सहायक—श्री नवीन यादव |
| 3. | श्री अमरजीत | एम० एससी० | 3. परिचारक—श्री सुमित धनखड़ |
| 4. | श्री छाजुराम | एम० एससी०, एम.० फिल. | |

रसायन शास्त्र विभाग

- | | | | |
|----|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | डॉ० जितेन्द्र कुमार | एम० एससी०, पीएच०डी० | 1. सहायक—श्री दीपक कुमार |
| 2. | श्री अरुण कुमार | एम० एससी० | 2. परिचारक—श्री विजय जैन |
| 3. | रिक्त | | 3. परिचारक—रिक्त |
| 4. | रिक्त | | |

गणित विभाग

- | | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | डॉ० इन्द्र सिंह गुप्ता | एम० एससी०, एम०फिल्०, पीएच०डी० | |
| 2. | श्रीमती नीना बंसल | एम० एससी०, एम०फिल्० | |
| 3. | श्रीमती सुनीता गोयल | एम० एससी०, एम०फिल्०, | |

वाणिज्य संकाय

- | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. | डॉ. एम. के जैन | एम. कॉम., एम०फिल्०, पीएच०डी० | |
| 2. | श्रीमती प्रीति गुप्ता | एम० कॉम० | 4. टाईप इन्सट्रक्टर—रिक्त |
| 3. | रिक्त | | |

शारीरिक शिक्षा विभाग

- | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|----------|
| 1. | डॉ० भूपेन्द्र सिंह | एम० ए०, एम०फिल्०, पीएच. डी. | 2. रिक्त |
|----|--------------------|-----------------------------|----------|

पुस्तकालय

- | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 1. | श्री नीरज गर्ग (पुस्तकालयाध्यक्ष) | एम० ए०, एम०लिब० | |
| 1. | श्री सतीश कुमार—रैस्टोरर | | |
| 1. | महेश कुमार—परिचारक | 2. श्रीमती अनिता—परिचारक | |



एन० सी० सी० अधिकारी

1. लेफटीनेन्ट अशोक कुमार 2. लेफटीनेन्ट विपिन पाल सिंह

एन० एस० एस० कार्यक्रम अधिकारी

1. डॉ० यशवीर सिंह 2. श्री रोशन लाल 3. श्रीमती हेमलता

महिला एवं यौन शोषण निरोधक प्रकोष्ठ

1. श्रीमती अमिता 2. डॉ० (श्रीमती) सुनीता

स्वास्थ्य निरीक्षण प्रकोष्ठ

1. श्रीमती अमिता 2. डॉ० (श्रीमती) सुशीला सैनी

Career Guidance And Information Bureau

1. डॉ० पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल 2. श्री कमल नयन 3. डॉ० यशवीर सिंह

शिकायत प्रतितोष प्रकोष्ठ

1. डॉ० पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल 2. डॉ० सुशील बंसल 3. डॉ० यशवीर सिंह

SC/ST/OBC /Minorities Cell

1. डॉ० सुरेश कुमार 2. श्री सुरेन्द्र सिंह 3. श्री रोशन लाल

Anti Ragging Committee:

1. श्री जयवीर सिंह 2. श्री विपिन पाल सिंह 3. डॉ० भूपेन्द्र सिंह 4. डॉ० (श्रीमती) सुशीला सैनी
5. डॉ० जितेन्द्र कुमार 6. श्री छाजुराम 7. श्री अशोक कुमार

RTI Cell

1. श्री विजेन्द्र हुड्डा, H.C.S. 2. डॉ. आर. एन. यादव, 3. डॉ. एम. के. जैन
SDM, Charkhi Dadri-cum- प्राचार्य SPIO एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग) ASPIO
Administrator-FAA

कार्यालय

1. श्री मोहन कुमार, M.Com. मुख्यलिपिक 4. श्री नरेश कुमार, MBA, PGDCA, CIC लिपिक
2. श्री ज्योति स्वरूप, इन्टर लिपिक 5. श्री बिजेन्द्र गोयल, M.A., M.C.A. लिपिक
3. श्री संजीव कुमार, M.A., M.Com., B.Ed लिपिक 6. रिक्त

गैर अनुमोदित कार्यालय स्टाफ (Non Sanctioned)

1. श्री देवेन्द्र सिंह, B.Com. लिपिक
2. श्री राकेश कुमार, B.A. लिपिक
3. श्री रमेश कुमार लैब परिचारक
4. श्री मधुसूदन लैब परिचारक



List of Fake Universities

1. Maithili University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar.
2. Commercial University Ltd. Daryaganj Delhi.
3. United Nations University, Delhi.
4. Vocational University, Delhi.
5. ADR-Centric Judicial University, ADR House, 8J, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi.
6. Indian Institute of Science and Engineering, New Delhi.
7. Badagnvi Sarkar World Open University Education Society, Gokak, Belgaon (Karnatka).
8. St. John's University Kishanattam Kerla.
9. Raja Arabic University, Nagpur, Maharashtra.
10. D.D.B. Sanskrit University Putur Trichi Tamilnadu.
10. Kesarwani Vidyapeeth Jabalpur (M.P.).
11. Institute of Alternative Medicine, Kolkatta
12. Institute of Alternative Medicine and Research, Thakurpurkur, Kolkata-700063.
13. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Varanasi (U.P.)/Jagatpuri, Delhi.
14. Mahila Gram Vidyapith/Vishwavidyalaya, (Women's University), Prayag Allahabad (U.P.)Gandhi Hindi Vidyapith Prayag Allahabad (U.P.).
15. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh.
16. National University of Electro Complex Homeopathy Kanpur.
17. Netaji Subhash Chandra Bose University (Open University) Achaltal Aligarh (U.P.).
18. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya Kosi Kalan Mathura (U.P.).
19. Maharana Pratap Shiksha Niketan Vishwavidyalaya Pratapgarh (U.P.).
20. Indraprashta Shiksha Parishad, Institutional Area, Khoda, Makanpur, Noida Phase-II, Uttar Pradesh.
21. Gurukul Vishwavidyalaya, Vrindavan, Uttar Pradesh.
22. Nababharat Shiksha Parishad, Shaktinagar, Rourkela-769014

Note :- Before finalizing the admissions, the up-dated lists of recognized examinations of Board of School Education Haryana, Bhiwani/Other Boards/Universities is/are required to be consulted.



ADMISSION COMMITTEE

CLASS

B.Sc.-I, II and III Medical (Ist, IIIrd & Vth Semester)

- | | |
|---|----------|
| 1. Mrs. Amita, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Dr. (Mrs.) Shamina, Asso. Prof. | Member |
| 3. Dr. (Mrs.) Sushila Saini, Asstt. Prof. | Member |

Venue

Zoology Dept.

B.Sc.-I, Non-Medical (Ist Semester)

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Inder Singh Gupta, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Sh. Vipin Pal Singh, Asstt. Prof. | Member |
| 3. Sh. Chhaju Ram, Asstt. Prof. | Member |
| 4. Sh. Sh. Naveen Yadav, Lab Asstt. | |

Physics Lab.

B.Sc.-II & III Non-Medical (IIIrd and Vth Semester)

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. (Mrs.) Sunita, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Sh. Amarjeet, Asstt. Prof. | Member |
| 3. Dr. Jitender Kumar, Asstt. Prof. | Member |

Chemistry Dept.

B.Com-I, II and III (Ist, IIIrd & Vth Semester)

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. M.K. Jain, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Mrs. Priti Gupta, Asstt. Prof. | Member |
| 3. Dr. Rajinder Singh, Asstt. Prof. | Member |
| 4. Sh. Ramesh Kumar, Lab Attdt. | |

Commerce Dept.

B.A-I (Ist Semester)

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Sh. Kamal Nain, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Dr. Yashvir Singh, Asso. Prof. | Co-Convener |
| 3. Mrs. Manisha, Asso. Prof. | Member |
| 4. Sh. Roshan Lal, Asstt. Prof. | Member |
| 5. Mrs. Garima Sheoran, Asstt. Prof. | Member |
| 6. Sh. Sanjai Singh, Lab. Attdt. | |

Geog. Dept.





B.A-II (IIIrd Semester)

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Raj Kumar Garg, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Sh. N.P. Panwar, Asso. Prof. | Member |
| 3. Sh. Ashok Kumar, Asso. Prof. | Member |

Hindi Dept.

B.A-III (Vth Semester)

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Dr. P.K. Aggarwal, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Dr. Sushil Bansal, Asso. Prof. | Member |
| 3. Sh. Deepak Kumar, Asso. Prof. | Member |

Sanskrit Dept.

B.Sc.- All Classes (Self Financing Scheme)

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Sh. Jaivir Singh, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Sh. Surender Singh, Asstt. Prof. | Member |
| 3. Sh. Arun Kumar, Asstt. Prof. | Member |

Physics Dept.

All P.G. Classes

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Suresh Kumar, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Mrs. Neena Bansal, Asso. Prof. | Member |
| 3. Mrs. Hem Lata, Asstt.. Prof. | Member |

Pol. Sc. Dept.

Time-Table Committee

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Yashvir Singh, Asso. Prof. | Convener |
| 2. Sh. Kamal Nain, Asso. Prof. | Member |
| 3. Sh. Neeraj Garg, Librarian | Member. |
| 4. Sh. Jaivir Singh, Asso. Prof. | Member |
| 5. Sh. Roshan Lal, Asstt. Prof. | Member |
| 6. Sh. Surender Singh, Asstt. Prof. | Member |
| 7. Dr. Rajinder Singh, Asstt. Prof. | Member |

Help Desk For Various Informations

- | |
|-----------------------------------|
| 1. Dr. Yashvir Singh, Asso. Prof. |
| 2. Sh. Roshan Lal, Asstt. Prof. |
| 3. Mrs. Hemlata, Asstt. Prof. |

Main Poarch



List of Alumni

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | Sh. V.K. Bansal | Chairman-India Investment Banking Morgan Stanley India Company, Pvt. Ltd. |
| 2. | Dr. R.K. Chauhan | Ex. Vice-Chancellor, Nagaland University, Kohima |
| 3. | Sh. Mahender Sheoran | IRS, Commissioner, Central Excise & Custom |
| 4. | Sh. Mahavir Bhardwaj | IFS |
| 5. | Sh. Omparkash Dhankar | Cabinet Minister, Government of Haryana |
| 6. | Sh. Krishan Kumar Mittal | IAS |
| 7. | Sh. Vijay Mohan Jain | IAS |
| 8. | Sh. Kailash Gupta | IAS |
| 9. | Sh. Krishan Kumar Yadav | IAS |
| 10. | Sh. Jitender Singh Gupta | Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs |
| 11. | Sh.B.P. Dahiya | Director, Ministry of Defence |
| 12. | Sh. Pradeep Kasni | IAS |
| 13. | Sh. Mahavir Prasad | HCS |
| 14. | Sh. Surajbhan | HCS |
| 15. | Sh. Jagjit Singh Sangwan | Ex. M.L.A. (Haryana Assembly) |
| 16. | Sh. Narpendra Singh | Ex. M.L.A. (Haryana Assembly) |
| 17. | Sh. Rajdeep Phogat | M.L.A. (Haryana Assembly) |
| 18. | Dr. Ashok Khurana | M.D. |
| 19. | Dr. Vivek Kaliraman | M.D. |
| 20. | Sh. D.S. Sangwan | Superintendent Engineer (SE) |
| 21. | Dr. Mahesh Gupta | M.D. |
| 22. | Dr. Omparkash | M.D. |
| 23. | Sh. Ashok Kumar Gupta | C.A. |
| 24. | Sh. Suresh Aggarwal | Businessman & Social Worker |
| 25. | Sh. Virender Singh | Businessman & Social Worker |
| 26. | Sh. Ashok Goyal | Businessman |
| 27. | Sh. Manish Gupta | Officer, AXIS Bank |
| 28. | Sh. Ashwani Singhal | C.A. |
| 29. | Sh. Vikram Mittal | Officer, Central Excise Ahmedabad |
| 30. | Sh. Deepak Kumar | Officer, Central Excise, Karnataka |
| 31. | Sh. Rajan Sharma | Media Reporter & Anchor |
| 32. | Sh. Subhash Saini | Manager, Toronto (Canada) |
| 33. | Dr. Milan Aggarwal | Post-Doctoral Fellow in Physics at Germany |
| 34. | Acharya Devi Singh | Social Worker, Patron, Alumni Association |
| 35. | Dr. Yasvir Singh | Asso. Prof., President, Alumni Association |
| 36. | Sh. Jitender Bhardwaj | Asstt. Prof., Secretary, Alumni Association |
| 37. | Smt. Manisha | Asso. Prof., Vice-President, Alumni Association |
| 38. | Dr. Sunita Dhatarwal | Asso. Prof., Joint Secretary Alumni Association |
| 39. | Sh. R.C. Punia | Social Worker, Treasurer, Alumni Association |



List of Scheduled Castes in Haryana State

- | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ad Dharmi | 2. Balmiki, Chura, Bhangi | 3. Bangali | 4. Barar, Burar, Berar |
| 5. Batwal | 6. Bauria, Bawaria | 7. Bazigar | 8. Bhanjra |
| 9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhatoji, Bhambi, Chamar-Rohidas, Jatav, Jatava, Ramdasia. | | 10. Chanal | 11. Dagi |
| 12. Darain | 13. Deha, Dhea, Dhaya | 14. Dhanak | 15. Dhogri, Dhangri, Siggri |
| 16. Dumma, Mahasha, Doom | 17. Gagra | 18. Gandhila, Gandil, Gondola | |
| 19. Kabirpanthi, Julaha | 20. Khatik | 21. Kori, Koli | 22. Marija, Marecha |
| 23. Mazhabi, Mazhibi Sikh | 24. Megh | 25. Nat, Badi | 26. Od |
| 27. Pasi | 28. Perna | 29. Pherera | 30. Sanhai |
| 31. Sanhal | 32. Sansi, Bhedkut Manesh | 33. Sansoi | 34. Sapela, Spera |
| 35. Sarera | 36. Sikligar, Bariya | 37. Sirikiband | |

LIST OF BACKWARD CLASSES IN HARYANA STATE (BLOCK 'A')

- | | | | |
|---|---|--|------------------------|
| 1. Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi, Hari | 2. Barra | 3. Beta, Hensai or Hesi | 4. Bagria |
| 5. Barwar | 6. Barai, Tamboli | 7. Baragi, Bairagi, Swami Sadh | 8. Battera |
| 9. Bharbhujia, Bharbhunja | 10. Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya | 11. Bhuhalia Lohar | 12. Changar |
| 13. Chirimar | 14. Chang | 15. Chimba, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla | 16. Daiya |
| 17. Dhobis | 18. Dakaut | 19. Dhimar, Mallah, Kashyap, Rajpoot, Kahar, Jhinwar, Dhinwar, Khewat, Mehra, Nishad, Sekha, Bhisti, Sheikh-Abbasi | 20. Dhosali, Dosali |
| 21. Faquir | | | |
| 22. Gwaria, Gauria or Gwar | 23. Ghirath | 24. Ghasi, Ghasiara or Ghosi | |
| 25. Gorkhas | 26. Gawala, Gowala | 27. Gadaria, Pal | 28. Garhi-Lohar |
| 29. Hajjam, Nai, Nais, Sain | 30. Jhangra Brahman, Khati, Suthar, Dhiman, Tarkhan, Barhi, Baddi | | |
| 31. Joginath, Jogi Nath, Jangam Jogi, Yogi | 32. Kanjar or Kanchan | 33. Kurmi | 34. Kumhars, Prajapati |
| 35. Kamboj | 36. Kanghera | 37. Kuchband | 38. Labana |
| 39. Lakhera, Manehar, Kachera | 40. Lohar, Panchal | 41. Madari | 42. Mochi |
| 43. Mirasi | 44. Nar | 45. Noongar | 46. Nalband |
| 47. Pinja, Penja | | | |
| 48. Rehar, Rehare or Re | 49. Raigar | 50. Rai Sikhs | 51. Rechband |
| 52. Shorgir, Shergir | | | |
| 53. Soi | 54. Singhikant, Singiwala | 55. Sungar, Zargar, Soni | 56. Thathera, Temera |
| 57. Teli | 58. Vanzara, Banjara | 59. Weaver (Jullaha) | 60. Badi / Baddo |
| 61. Bhattu / Chattu | 62. Mina | 63. Rahbari | 64. Charan |
| 65. Chaaraj (Mahabrahman) | 66. Udasin | 67. Ramgarhia | |
| 68. Rangrez, Lilgar, Nilgar, Lallari | 69. Dawala, Soni-Dawala, Nayaria | | |
| 70. Bhar, Rajbhar | 71. Nat (Muslim) | | |

BLOCK 'B'

- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Ahir/Yadav | 2. Gujjar | 3. Lodh/Lodha/Lodhi |
| 4. Saini, Shakya | 5. Meo | 6. Gosai/Gosain/Goswami. |



TERMS & VACATIONS

The Schedule of Terms and Vacations to be observed by the University Teaching Departments, University Institute of Law and Management Studies, Gurgaon and Colleges affiliated to M.D. University, Rohtak running UG & PG and other Professional Courses (Semester System) (except B.Ed, M.Ed., B.Tech, B.Arch. , M.Arch. and M.Tech Courses) during the session 2016-17 as under:-

FOR UNDER –GRADUATE COURSES (ODD SEMESTER)

Admissions	01.07.2016 to 15.07.2016
Teaching	16.07.2016 to 27.10.2016
Vacation-I	28.10.2016 to 03.11.2016
Teaching	04.11.2016 to 18.11.2016
Examinations	19.11.2016 to 18.12.2016
Winter Vacation	19.12.2016 to 31.12.2016

EVEN SEMESTER

Teaching	02.01.2017 to 09.03.2017
Vacation-II	10.03.2017 to 16.03.2017
Teaching	17.03.2017 to 29.04.2017
Examinations (except 6 th Semester)	01.05.2017 to 28.05.2017
Examination 6 th Semester	20.04.2017 onwards
Practical Examinations	After Theory Examinations
Summer Vacation (2016-17)	18.05.2017 to 30.06.2017

The Academic Session 2016-17 will start from 01-07-2016

FOR POST-GRADUATE COURSES (ODD SEMESTER)

Admissions	01.07.2016 to 21.07.2016
Teaching	22.07.2016 to 27.10.2016
Vacation-I	28.10.2016 to 03.11.2016
Teaching	04.11.2016 to 18.11.2016
Examinations	19.11.2016 to 18.12.2016
Winter Vacation	19.12.2016 to 31.12.2016

EVEN SEMESTER

Teaching	02.01.2017 to 09.03.2017
Vacation-II	10.03.2017 to 16.03.2017
Teaching	17.03.2017 to 29.04.2017
Examinations	01.05.2017 to 28.05.2017
Practical Examinations	After Theory Examinations
Summer Vacation (2016-17)	18.05.2017 to 30.06.2017

The Academic Session 2016-17 will start from 01.07.2016